रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 510] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 13, 1971/आश्विन 21, 1893

No. 510] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 1971 ASVINA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 13th October 1971

S.O. 3851.—The period of 2 months for submission of report by the Committee appointed to make full and complete investigation into the affairs of M/s. Hindustan Tractors Limited, Vishwamitri, Baroda (Gujarat), *vide* Governmen of India, Ministry of Industrial Development, Order published under S.O. No. 2453 in the Gazette of India (Extra-ordinary) dated 23rd June, 1971 (Pages 2343-2344) is hereby extended by a further period of six weeks.

In the same Order for the words "Shri P. Appa Rao" occurring in the list of members, read "Shri G. V. Appa Rao".

[No. F. AEI-II/5/1/69.]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1971

का० आ० 3861.—भारत सरकार औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 23 जून, 1971 को पृष्ठ 2343-2344 पर प्रकाशित का० आ० सं० 2453 के अधीन मै० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, विश्वामित्री, बड़ोदा (गुजरात) के कार्यों की पूर्णरूपेण जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दो माह की अवधि को 6 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है ।

उसी आदेश में सदस्यों की सूची में आने वाले "श्री पी० अप्पा राव" शब्दों को "श्री जी० पी० अप्पा राव" पढ़ा जाये ।

[सं० एफ० ए० ई० आई०-2/5/1/69]

एम० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971